न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 15 / 2022

अनवान :–

1. सरस्वती पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा निवासी नोहर तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. आत्माराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सीला पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. जनेश पुत्र विमलादेवी पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री विमलादेवी पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र पुत्र मेवासिह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. जमना पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
8. पार्वती पत्नी प्रभूदयाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
9. भावना पुत्री प्रभूदयाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
10. सलोनी पुत्री प्रभूदयाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 13/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा 10 जेएएसन के खता संख्या 225 / 66 की कुल 3.0360हैक भूमि सायला के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 153 / 146 की कुल 6.3250हैक भूम गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता / दादा रावताराम के नाम दर्ज है तथा रावताराम पुत्र सांवताराम का देहान्त हो चुका है इसलिये इनके वारिसान 1 / 6 को पक्षकार बनाया गया है व रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 53 / 51 की कुल 6.5780हैक भूमि गैरसायाल संख्या 7 ता 10 की मुश्तरका खाता में भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला अपनी कृषि भूमि चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 225 / 66 में आने जाने के लिए अपने गांव से चलकर मंजुरशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता / दादा की भूमि के प0न0 364 / 391(31) किला न0 5 / 2 के मिन उत्तर की 0.013हैक में से होकर गैरसायल संख्या 7 ता 10 के प0न0 364 / 391(31) के किला न0 4 की 0.001है मिन उत्तर पूर्वी कोना में से होकर प0न0 364 / 390(16) के किला न0 24 के मिन पूर्वी की 0.012हैक मे से होते हुए सायला अपने खेत के प0न0 364 / 390(17) के किला न0 17 में प्रवेश करती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested

सायला के अपनी कृषि भूमि में [illegible] के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है सदामद [illegible] आती आ रही है यही रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में [illegible]त नही होने के कारण गेरसायलान कभी भी रास्ता को बन्द कर सकते है यदि गैरसायलान ने उक्त रास्ता

..1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

बन्द कर दिया तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है सायला अपनी भूमि काश्त करने से वंचित हो जावेगी सायला उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है एव रास्ता की भूमि के बदले में भूमि देने के लिये तैयार है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता/दादा मृतक रावताराम पुत्र सांवताराम के खेत के प0न0 364/391(31) के किला न0 5/2 के मिन उत्तर की 0.013हैक भूमि व गैरसायल संख्या 7 ता 10 के प0न0 364/391 (31) के किला न0 4 की 0.001हैक मिन उत्तरी पूर्वी कोना व प0न0 364/390(16) के किला न0 24 के मिन पूर्व की 0.012हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत फरमावे एव राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे रास्ते के बदले में सायला के खेत प0न0 364/390(16) के किला न0 14 के मिन पूर्वी दक्षिणी कोना रास्ता को छोडकर मिन दक्षिण की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 7 ता 10 के चिपती हुई भूमि एव मिन पूर्व की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 6 को उनकी भूमि के चिपती हुए देने का तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायलान संख्या 3 ,5 ता 10 रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा गैरसायल संख्या 1 ,2 ,4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की प्रश्नगत भूमि मृतक के नाम से दर्ज है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के सलग्न खातेदार का मृत्यू व वारिस प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया ना ही वारिस तय किये गये है समस्त वारिसान का पक्षकार नही बनाया गया है मृतक के खिलाफ किसी प्रकार का निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है और हमारे खेत मे रास्ता नही है ना ही कभी आवागमन रहा है प0न0 364/390 तािा 364/391 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में खाला है जिस पर रास्ता संभव नही है ना ही रास्ता सुविधाजनक है खाला से सैकडों काश्तकारो के द्वारा सिचाई की जा रही है यहा से रास्ता नही दिया जा सकता है प्रार्थी को सुविधाजनक रास्ता किला न0 16 में लगता है जिसमें 1 बिश्वा दुरी पर इनका खेत है प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसालय/अप्रार्थीगण का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी /सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी/सायल एव अप्रार्थी/गैरसायला एक दुसरे के चिपते खातेदार काश्तकार है सायल का अपनी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायला के अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है सदामत से इसी रास्ता से आवागम करती आ रही है यही रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गेरसायलान कभी भी रास्ता को बन्द कर सकते है यदि गैरसायलान ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है सायला अपनी भूमि काश्त करने से वंचित हो जावेगी सायला उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है एव रास्ता की भूमि के बदले में भूमि देने के लिये तैयार है सायल /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल /अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने मृतक की भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है मृतक के समस्त वारिसान को पक्षकार भी नही बनाया गया है गैरसायल खेत मे रास्ता नही है ना ही कभी आवागमन रहा है प0न0 364/390 तािा 364/391 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में खाला है जिस पर रास्ता संभव नही है ना ही रास्ता सुविधाजनक है खाला से सैकडों काश्तकारो के द्वारा सिचाई की जा रही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

यहा से रास्ता नही दिया जा सकता है प्रार्थी को सुविधाजनक रास्ता किला न0 16 में लगता है जिसमें 1 बिश्वा दुरी पर इनका खेत है प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा 10 जेएएसन के खता संख्या 225/66 की कुल 3.0360हैक्‍ भूमि सायला के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 153/146 की कुल 6.3250हैक्‍ भूम गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पिता/दादा रावताराम के नाम दर्ज है तथा रावताराम पुत्र सांवताराम का देहान्त हो चुका है इसलिये इनके वारिसान 1/6 को पक्षकार बनाया गया है व रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 53/51 की कुल 6.5780हैक्‍ भूमि गैरसायाल संख्या 7 ता 10 की मुश्तरका खाता में भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से साबित है

रावताराम पुत्र सावंताराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान को प्रार्थी ने पक्षकार बनाया गया है रावताराम का देहान्त होना गैरसायल के जबाब से साबित है गैरसायलान का काथन है कि रावताराम के समस्त वारिसान का पक्षकार नही बनाया गया है गेरसायल ने अपने कथनो के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया ना ही बताया गया की किसे पक्षकार नही बनाया गया है।

सायल का कथन है कि वह अपनी खातेदारी भूमि में गेरसायलान के पिता /दादा के नाम दर्ज भूमि में से प्रश्नगत रास्ता से होकर आवागमन करती आ रही है किन्तु वह स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है गैरसायल का विरोध हे कि वह रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी नही है खाला की भूमि है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार हम सायल के कथन से सहमत है सायला को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है गैरसायल ने खाला होने के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीया/सायला अपने खेत में आवागमन करने के लिये आवेदित रास्ता काम में ले रही है अर्थात वर्तमान में रास्ता चालू है तथा रोही मौजा चक 10 जेएसएन के प0न0 364/391 (31) किला न0 5/2 में रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक दुरी पर है तथा प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना उचित अंकित किया गया है सायला का उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये नही है

मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा के अनुसार गै0मु0खाला की भूमि स्वीकृत करने वाले या सायला के द्वार चाहे गये रास्ते से काफी दुरी पर है सायला ने मु0न0 31 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में चालू रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से एक किला की दुरी पर है से चाहा गया है जो विधिसम्मत प्रतीत होता है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि काश्त करने के लिये रास्ता उपलब्ध करवाना विधिसम्मत है

प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अनुसार अप्रार्थीगण की सयुक्त खाता की भूमि में स्वीकृत रास्ता है जो चालू है इस मंजुरशुद्वा रास्ता से प्रार्थी के खेत /खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये कोई भी रास्ता नही है प्रार्थी [illegible] भूमि और मंजुरशुद्वा रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि आती [illegible] कृत करने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पहुच सकता है अर्थात [illegible] नक्शा मे दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है ।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता नजरीय नक्शा अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 10 जेएसएन में गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के पिता/दादा मृतक रावताराम पुत्र सांवताराम के खेत के प0न0 364/391(31) के किला न0 5/2 के मिन उत्तर की 0.013हैक भूमि व गैरसायल संख्या 7 ता 10 के प0न0 364/391 (31) के किला न0 4 की 0.001हैक मिन उत्तरी पूर्वी कोना व प0न0 364/390(16) के किला न0 24 के मिन पूर्व की 0.012हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ते में जीतनी भूमि आती है उसके बदले में सायला के खेत प0न0 364/390(16) के किला न0 14 के मिन पूर्वी दक्षिणी कोना में रास्ता की भूमि को छोडकर मिन दक्षिण की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 7 ता 10 के चिपती हुई भूमि एव मिन पूर्व की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 6 को उनकी भूमि के चिपती देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:54:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2024 / 534 दिनांक 13/05/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 15 सन 2022 निर्णय दिनांक 13/5/2025

अनवान :–

अनवान :–

1. सरस्वती पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा निवासी नोहर तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1 महेन्द्र पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. आत्माराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सीला पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. जनेश पुत्र विमलादेवी पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री विमलादेवी पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र पुत्र मेवासिह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. जमना पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
8. पार्वती पत्नी प्रभूदयाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
9. भावना पुत्री प्रभूदयाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
10. सलोनी पुत्री प्रभूदयाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा 10 जेएसएन में गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के पिता / दादा मृतक रावताराम पुत्र सांवताराम के खेत के प0न0 364 / 391(31) के किला न0 5 / 2 के मिन उत्तर की 0.013हैक भूमि व गैरसायल संख्या 7 ता 10 के प0न0 364 / 391 (31) के किला न0 4 की 0.001हैक मिन उत्तरी पूर्वी कोना व प0न0 364 / 390(16) के किला न0 24 के मिन पूर्व की 0.012हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ते में जीतनी भूमि आती है उसके बदले में सायला के खेत प0न0 364 / 390(16) के किला न0 14 के मिन पूर्वी दक्षिणी कोना में रास्ता की भूमि को छोडकर मिन दक्षिण की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 7 ता 10 के चिपती हुई भूमि एव मिन पूर्व की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 6 को उनकी भूमि के चिपती देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested